राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(25)नलिवि/बीकानेर/2016 जयपुर, दिनांकः 13 JAN 2017

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 में कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए की कार्यवाही होने पर नगरीय निकाय द्वारा प्रीमियम व लीज रेन्ट जमा करवाने हेतु मांग पत्र जारी करने कि दिनांक से 90 दिवस की अवधि में राशि जमा करवाना आवश्यक है। 90 दिवस पश्चात 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित उक्त राशि जमा कराई जा सकती है। परन्तु मांग पत्र प्राप्ति की दिनांक से 6 माह तक भी उक्त राशि जमा नही करवाई जाती है तो इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जाती है। उपरोक्त नियम के प्रावधानों से आम आदमी को कठिनाई का सामना करना पड रहा है व निधार्रित अवधि में राशि उपलब्ध नही होने पर समस्त कार्यवाही निरस्त हो जाती है।

इस संबंध में विभिन्न प्राधिकरण व नगर विकास न्यासों से मार्गदर्शन चाहा गया है कि धारा 90ए के तहत जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी होने के 6 माह व्यतीत होने के पश्चात् भी राशि जमा नहीं हुई है, उनमें अग्रिम कार्यवाही किस प्रकार की जावे। अतः इस कठिनाई के निराकरण हेतु राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के नियम 37 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् एतद्द्वारा उपरोक्त नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए निम्न प्रकार निर्देश प्रदान करती है :–

"राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के अनुसार जिन प्रकरणों में नगरीय निकाय द्वारा मांग पत्र जारी किये जाने की दिनांक से 6 माह के अवसान के बाद भी राशि जमा नहीं करायी गयी है तो ऐसे प्रकरणों में मांग पत्र जारी किये जाने की दिनांक से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से राशि जमा कराने के पश्चात् प्रकरण का नियमितिकरण किया जावे। यह शिथिलता दिनांक 31.03.2017 तक नियमानुसार प्रीमियम राशि व अन्य प्रभार मय ब्याज के जमा कराये जाने पर ही लागू होगी। इस अवधि में राशि जमा नहीं कराये जाने की दशा में जारी की गयी अनुज्ञा रद्द की गयी मानी जायेगी तथा आवेदक को पुनः नये सिरे से आवेदन करना होगा।"

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा।

आज्ञा से,

13/1/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम